

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

प्रीतशील अग्रिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 109/2017

अपीलान्त

राणाराम पुत्र गणाराम जाति सरगरा

निवासी बागो तहसील पाली

रिप्लाइन्ट :-

सरकार जारिये मूँसिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान मूँ राजस्व अधिनियम 1956

उपरिष्ठत :-

श्री कमलेश चौहान, विद्वान अभिमाषक अपीलान्त

सरकारी प्रोकर, रिप्लाइन्ट की ओर से 890

:- निर्यात :-

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76

राज मूँ राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 322/2016 में तहसीलदार पाली धारा

पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली धारा राजस्व अपील

संख्या 54/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज

रजिस्टर कर रिप्लाइन्ट की जारिये समान तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब

किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिमाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को

देहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बाला की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पाली

धारा अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान मूँ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण

दर्ज कर ग्राम बाला के खसरा नम्बर 250 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी सीयम की मूँसि पर

अपीलान्त का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया, किन्तु कोई

नोटिस जारी नहीं किया। केंद्र के दिवस अपीलान्त से समस्त कामगारों पर हस्ताक्षर एवं अर्गुस

निर्माण करवाये गये। न तो अपीलान्त को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा न ही

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में जिन दरखास्तियों का उल्लेख

किया, उन्हें प्रदर्शित भी नहीं किया, जिसके कारण उक्त बयानों को साक्ष्य के रूप में पढा नहीं

जा सकता है। अपीलान्त का उक्त मूँसि पर पेशवातवर्ती अतिक्रमण मानने का कोई साक्ष्य

पेशवाती पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय धारा जैर अपील आदेश के

जारिये अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये जमाना आरंभित किया एवं आदेश बंदखली

पारित किये, साथ ही पेशवातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्त को तीन माह के सिविल

कारावास के दण्ड से दण्डित किया। बादस्थ मूँसि किस्म की रूप में प्रतिबन्धित श्रेणी में शूमार

नहीं होती है। अपीलान्त अनुरोधित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा प्रकरण में राज्य सरकार की

मूँसा अनुरोध नियमितिकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो न की जाकर अधिनस्थ

न्यायालय धारा बिना कोई साक्ष्यों का परीक्षण किये जैर अपील आदेश के जारिये अपीलान्त पर

जमाना आरंभित करते हुए आदेश बंदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया

है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करवाए एवं जैर अपील आदेश अपास्त करवाए।

सरकारी प्रोकर ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बाला के खसरा नम्बर

250 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी सीयम की मूँसि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त मूँसि पर

अपीलान्त धारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान मूँ राजस्व अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली





कर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक

7/12/17

अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ 25.10.2016 तथा न्यायालय जिला न्यायालय कलकत्ता, पाली द्वारा राजस्व अधील संख्या 54/2016 में की जाती है तथा प्रकरण संख्या 322/2016 में तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक परिणाम स्वरूप अधीलाट द्वारा प्रस्तुत अधील सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायविरत नहीं है।

विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अधील के अधीलाट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु पर अधीलाट तथा गवाह के हस्तक्षेप है, जिसे किसी भी रूप में नकारा नहीं है। जहां तक रागाराम का कब्जा हटाया जाकर भूमि को कब्जे राज लिया गया है। उक्त कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अंकित तथ्यों अनुसार इस दिनांक को प्रकरण में वादस्थ भूमि से अतिक्रमी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 20.12.2015 की प्रति सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए और अधील आदेश पारित किया गया। की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अधीलाट से तामील करवाया गया है, जो प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 25.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश इस पर तहसीलदार पाली द्वारा राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रागाराम पुत्र रागाराम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर काशत किया है, सरकारी खेत में दर्ज है। पटवारी हल्का बाला द्वारा तहसीलदार पाली के समक्ष इस आशय की बाला के खसरा नम्बर 250 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अधील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अधील अन्दर स्याद शुमार की जाती है। और तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अधीलाट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5-परिशीमा पत्र के समर्थन में वकील अधीलाट्स के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना किया गया। अधीलाट्स द्वारा अपनी अधील को अन्दर स्याद शुमार करने हेतु परिशीमा उपयुक्त अभिमाषकमण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अधीलाट की अधील खारिज करावे।

राजस्व अधील पाली
राजस्व अधील पाली
(द्वितीय बजट) (द्वितीय बजट)
80

को संदे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर